नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....116887

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

1163

दिनांक 24/7/19

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

...ण संख्या पत्रावली संख्या दिनांक

651 जी–44734 2009-2010

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....

श्रीमती अनुरागी देवी

...सेवा संस्थान, ग्राम– बहुआस, पो0– सिधाड़ी बाजार, तहसील– हाटा, जनपद– को

...शीनगर

...गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ....दिनांक .... को दिनांक

95 05-05-2009

.... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

...-05-2019

..............................रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

1200

...करने का दिनांक.................. सोसाइटी के रजिस्ट्रार

24-07-2019 उत्तर प्रदेश

24/7/19

प्रबन्धक

श्रीमती अनुरागी देवी जनसेवा संस्थान

...यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां (क0/टी0 / आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 699376

यह जनरल स्टाम्प पेपर ... श्रीमती अनुरागी देवी जन सेवा संस्थान
... ग्राम - बाहुस्मात पो० - सिघाड़ी बाजार तह० - हाटा
जिला कुशीनगर के रज० न० ... जी०54734
... स्मृति पत्र ... के साथ संलग्न है

कार्यालय सहायक निबंधक ... उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
21/5/09

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES RS.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AA 699377

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्रीमती अनुरागी देवी जन सेवा संस्थान ग्राम – बढ़ुआत पो० – सिंघाड़ी बाजार तह० – हाटा जिला कुशीनगर रजि नं० 54734 नियमावली के साथ संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
21/5/09

पत्र

1. संस्था का नाम — श्रीमती अनुरागी देवी जन सेवा संस्थान,

2. संस्था का पता — ग्राम–बहुआस, पोस्ट–सिघाडी बाजार, तहसील– हाटा, कुशीनगर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था का उद्देश्य — संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें।

1. जाति, धर्म वर्ग व वर्ण के भावना से दूर समाज कल्याण पवित्र भावना से एक सुन्दर व स्वच्छ समाज की स्थापना करना जिससें समाज में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके।

2. बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास एंव उत्थान हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना तथा उसके लिए समुचित व्यवस्था करना।

3. राष्ट्रीय भावना के विकासार्थ शिविर, प्रशिक्षण एंव प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन करना।

4. कमजोर विकासशील छात्र–छात्राओं की विकासार्थ उन्हें समुचित पुस्तकालय तथा छात्रवृत्ति आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

5. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एंव भाषाओं का समुचित प्रबन्ध करना।

6. छात्र–छात्राओं को शारीरिक एंव बौद्धिक विकास हेतु कीड़ा क्षेत्र एंव अन्य सुविधाओं को प्रदान करना।

7. प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्ष लगाना।

8. ग्रामीण संस्था/शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, विकास एंव कृषि विकास के द्वारा गरीब जनता की सेवा करना।

9. प्रदेश सरकार एंव केन्द्र सरकार के द्वारा समय समय पर संचालित समाज कल्याण कार्यकमों को संस्था द्वारा अपने माध्यम से संचालित कर समाज के विभिन्न वर्गो को लाभान्वित करना।

10. महिलाओं को स्वालम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर उन्हें सरकार के विभिन्न समाज कल्याणकारी योजना की जानकारी देना एंव समाज कल्याण हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

11. समाज को साक्षर बनाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा, पत्राचार शिक्षा तथा स्वयं शिक्षा की कार्यकमों को संचालित करना

12. समाज में मद्य निषेध, सामाजिक अपराध व जनसंख्या को रोकने हेतु कार्यकम संचालित करना।

13. देश के पिछड़े क्षेत्रों में निशुल्क चिकित्सालय खोलकर असहाय परिमाणित तथा निर्धन वर्ग के लोगों की सेवा करना।

14. कला की समस्त विधाओं का संरक्षण, विकास एंव प्रशिक्षण (विशषेतः लोककला) के लिए कार्य करना।

इसरावती देवी
उमेश सिंह
विश्वनाथ सिंह
जनार्दन सिंह
Deepak Singh
मुमताज आलम
Ramu prasad
आशा प्रसाद
संजय यादव

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

~~15. उपरोक्त जनहित कार्यक्रम को संचालित करने के लिए यह संस्था केन्द्र तथा प्रदेश सरकार या अन्य सरकार से अनुदान स्वीकार करेगी तथा उसका लेखा जोखा रखेगी।~~

16. कम्प्युटर तथा अन्य तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण देगी व इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलगी।

श्रीमती अनुरागी देवी सेवा संस्थान, कुशीनगर के कार्य सम्पादित करने हेतु एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया गया है जिसके पदाधिकारीयों एंव सदस्यो का नाम मय वलदियत पद व पेशा इत्यादि निम्नवत् है।

कम सं0	नाम व पिता का नाम	पता	पद	पेशा
1.	श्रीमती इसरावती देवी स्व0 श्री विशुन सिंह	ग्राम+पो0--मघवलिया जिला--कुशीनगर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री उमेश सिंह श्री जित्तन सिंह	ग्राम+पो0-- अमवाँ जिला-- कुशीनगर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री विश्वनाथ सिंह श्री रामरत्ती सिंह	ग्राम-- बहुआस पो0-- सिघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	प्रबन्धक / सचिव	कृषि
4.	श्री जर्नादन सिंह श्री रामदास सिंह	ग्राम--तुर्कहाँ, पो0--बनकटा पो0-- सिंघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	उपप्रबन्धक उपसचिव	कृषि
5.	श्री दीपक सिंह श्री विश्वनाथ सिंह	ग्राम-- बहुआस पो0-- सिघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	श्री मुमताज आलम श्री बदरझिल्ली	ग्राम-- बहुआस पो0-- सिघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	विशिष्ट सदस्य	कृषि
7.	श्री रामू प्रसाद श्री फिरंगी सिंह	ग्राम-- बहुआस पो0-- सिघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	विशिष्ट सदस्य	कृषि
8.	श्री लाला प्रसाद स्व0 श्री सुखरी प्रसाद	ग्राम-- बहुआस पो0-- सिघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	आजीवन सदस्य	कृषि
9.	श्री संजय यादव श्री श्यामबली यादव	ग्राम-- बहुआस पो0-- सिघाड़ी बाजार जिला-- कुशीनगर	सामान्य सदस्य	कृषि

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्तागण संस्था के स्मृति पत्र के अनुसार सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करना चाहते है। प्रमाण स्वरुप हमने नीचे अपना हस्ताक्षर बना दिया है।

सत्य - प्रतिलिपि

दिनाँक 1-4-09

हस्ताक्षर

इसरावती देवी   जनार्दन सिंह   लाला प्रसाद

उमेश सिंह   Deepak Singh   संजय यादव

मुमताज आलम

विश्वनाथ सिंह   Ramu Prasad

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
2/5/09

<u>नियमावली</u>

1. संस्था का नाम	—	श्रीमती अनुरागी देवी जन सेवा संस्थान,
2. संस्था का पता	—	ग्राम–बहुआस, पोस्ट–सिघाड़ी बाजार, तहसील– हाटा, जिला–कुशीनगर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र	—	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग – संस्था की सदस्यता निम्नवत् होगी–

अ– आजीवन सदस्य	—	वह व्यक्ति जो संस्था को 10001 नगद अथवा इतना ही मूल्य के चल या अचल सम्पत्ति देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगें।
ब– सामान्य सदस्य	—	वह व्यक्ति जो संस्था को 501 रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य मानें जायेंगें।
5. सदस्यता की समाप्ति	—	किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त समझी जायेगी।

1. किसी सदस्य के मृत्यु होन पर।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालीया होने पर।
3. किसी सदस्य के नयायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग पत्र देने पर।
5. किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने
6. किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न कर पाने पर।

6. संस्था के अंग — संस्था के दो अंग होगें।

अ. साधारण सभा।

ब. प्रबन्धकारिणी समिती।

7. साधारण सभा —

अ– गठन	साधरण सभा का गठन संस्था के आजीवन व सामान्य सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।
ब– बैंठके	साधरण सभा का सामान्य बैठक वर्ष मे कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकता अनुसार किसी भी समय अध्यक्ष की अनुमती से प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायेगी।
स– सुचना अवधि	साधारण सभा का समान्य बैठक से 15दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक का सूचना बैठक से दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी।
द– गणपूर्ती	संस्था के सभी सदस्यो के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में साधारण सभा की सभी बैठको की गणपूर्ती मानी जायेगी।

कलावती देवी जनार्दन सिंह

Deepak Singh

सहायक रजिस्ट्रार उमेश सिंह

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उ०प्र० गोरखपुर विश्वनाथ सिंह

य— वार्शिक अधिवेशन — संस्था का वार्शिक अधिवेशन 26 जनवरी के अवसर पर हर वर्ष होगा।

र— साधारण सभा के अधिकार एंव कर्तव्य—

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एंव कार्यक्रम आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना।

2. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारीयो एंव सदस्यो का चयन नियमानुसार करना।

3. संस्था के नियमों एंव विनियमों में नियमानुसार संशोधन एंव परिवर्तन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृत प्रदान करना।

4. संस्था के विरूद्ध हानिकारक र्काय करने वाले सदस्य की सदस्यता समापत करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति —

अ— गठन — साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें अध्यक्ष, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष के अलावा चार सदस्य सम्मिलित होगें और कुल संख्या 9 होगी

अ— बैठके — प्रबन्धकारिणी समिति को सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीनबार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स— सूचना अवधि — प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बौठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 24 घण्टे पूर्व सभी सदस्यो को दिया जायेगा।

द— गणपूर्ति — प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

य— रिक्त स्थानों की पमर्ति— प्रबन्धकारिणी समिति के किसी के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का निर्वाचन कर लिया जायेगा।

र— प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार ण्व कर्तव्य—

1. संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

2. ऐक्ट तथा विनियम के उपलब्धों के अनुसार वैतानिक कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थाई करण, पदोन्नति, पदच्युत करना।

3. संस्था के लिए गये अध्यक्ष व प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से लिए गए सहायता शुल्क, दान, चन्दा की स्वीकृती प्रदान करना।

इसरावती देवी जनार्दन सिंह
Deepak Singh
उमेश सिंह
विश्वनाथ सिंह

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

ल– कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किन्ही परिस्थितियों में चुनाव न हो पाने पर यही कार्य कारिणी समिति अगले 6 माह तक कार्य कर सकेगी।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयो के अधिकार एंव कर्तव्य–

1. अध्यक्ष – 1. संस्था के सभी बैठको की अध्यक्षता करना।
2. अन्य सभी अधिकारीयो का प्रयोग करना जो समिति द्वारा सौपे जाय।
3. बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना
4. साधारण सभा या प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक बुलाने की प्रबन्धक को अनुमती देना।
5. संस्था के प्रबन्धक के साथ मिलकर संस्था के साधारण सभा के सदस्य संयुक्त हस्ताक्षर से बनवाना।

2. उपाध्यक्ष – 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनकी उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार कार्य करना।

3. प्रबन्धक /सचिव – 1. संस्था के लिए सदस्यता शुल्क, अनुदान, चन्दे आदि अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करना तथा उनके लिए यथाविधि रसीदें देना।
2. संस्था के निधियों एंव सम्पत्तियों की देखरेख करना तथा उसे सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना।
3. संस्था के वैतानिक कर्मचारियों के वेंतन, वेतन वृद्धि तथा देय धनराशि का भुगतान स्वीकृत करना।
4. संस्था के सम्बन्धित मामलों में समिति संस्था के समस्त कानूनी कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
5. संस्था से सम्बन्धित कागजातों एंव दस्तावेजों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
6. समिति के निर्णय को कार्यन्वित करने के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना।
7. कोषाध्यक्ष के साथ बैठ के खाते का संखलन करना।
8. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें।

4. उपप्रबन्धक /उपसचिव – 1. प्रबन्धक की अनुपस्थिती में समस्त अधिकरो का प्रयोग करना तथा उसकी उपस्थिति में उनके कार्यो में यथासम्भव सहयोग प्रदान करना।

5. कोषाध्यक्ष – 1. संस्था के निधियो एंव सम्पत्तियों के लेखे को रखना।
2. संस्था के समस्त आय को बैंक में जमा करना तथा प्रबन्धक के साथ बैंक कें खातें का संचालन करना।

10. संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रकिया–
1. साधरण सभा के दो तिहाई बहुमत के द्वारा संस्था के नियमों एंव विनियमों में नियमानुसार संशोधन एंव परिवर्तन किया जायेगा।

इन्द्रावती देवी
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
जनार्दन सिंह
Deepak Singh

तथा उसकी उपस्थिति में उनके कार्यो में यथासम्भव सहयोग प्रदान करना।

5. कोषाध्यक्ष — 1. संस्था के निधियो एंव सम्पत्तियों के लेखे को रखना।
2. संस्था के समस्त आय को बैंक में जमा करना तथा प्रबन्धक के साथ बैंक कें खातें का संचालन करना।

10. संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रकिया–

1. साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत के द्वारा संस्था के नियमों एंव विनियमों में नियमानुसार संशोधन एंव परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष — 1. किसी भी राष्ट्रीयकृत स्थनीय बैक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियो का जमा किया जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक/अध्यक्ष एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा किया जायेगा।
2. संस्था के आय व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।
3. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन एंव उत्तरदायित्व।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण–

1. संस्था के आय व्यय का वार्षिक लेखा परिक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन/उत्तरदायित्व–

1. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

14. संस्था के अभिलेख — संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होगें–
1. सूचना रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. सदस्यता रजिस्टर।
5. कैशबुक आदि।

15. संस्था के विघटन — संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनाँक 1-1-09

हस्ताक्षर

इसरावती देवी
अशेश सिंह
विश्वनाथसिंह

सत्य – प्रतिलिपि
21-5-09
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
21/5/09

प्रतिलिपि कर्ता .... सिंह
मिलान कर्ता Deepak Singh 21/5/09